संख्या-80/2025/001-783 -24-1-2025-2352-2016

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जवाहरपुर 2×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-169/उनिलि/ उ0म0प्र0(वित्त), दिनांक 26 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शासकीय आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1410-30 में 2×660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 84,00,00,000/- (रूपये चौरासी करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 62,36,00,000/- (रूपये बासठ करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण विधिवत चयनित कार्यदायी संस्था को मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान की आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(6) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी।

(8) वतर्मान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरोणोपरान्त उपभोग संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 62,36,00,000 (रुपये बासठ करोड़ छत्तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801021901410 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूंजी विनियोजन मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-54-X-2025-26-दिनांक:6-10-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

<u>संख्या-80 /2025/001-783(1)-24-1-2025-2352-2016, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।